पंडित सन्त राम राजकीय महाविद्यालय, बैजनाथ जिला काँगड़ा के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 6/06 से 31.3.13

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्याः EDN-A-Kha (16)-10/95-Pt-III-Loose dated 27th June 2006 द्वारा पंडित सन्त राम राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ प्रारम्भ किया गया।

गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	7	छात्रों से नियमानुसार देय शुल्क की राशि की वसूली न करना	0.87
2	13	मिश्रित निधि से राशि का अनियमित व्यय करना	3.36
3	14	मिश्रित निधि से विभिन्न फार्म/रजिस्टर इत्यादि छपवाने पर किए गए राशि के व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.12

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

महाविद्यालय के अवधि 6/06 से 31.3.13 के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा दिनाँक 24.2.2014 से 17.5.2014 के दौरान बैजनाथ में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माह का चयन किया गया।

आयः– माह 6/2006, 7/2007, 6/2008, 6/2009, 6/2010, 6/2011 तथा 6/2012

व्ययः– माह 10/2006, 10/2007, 12/2008, 3/2010, 3/2011, 3/2012 तथा माह 12/2012

अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की गई।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री हरदेव कटोच	01.07.2006 से 21.07.2007
2	श्री एस0बी0 शेखरी	19.07.2007 से 15.03.2008

3	श्रीमती प्रोमिला वर्मा	16.03.2008 से 07.07.2008
4	श्रीमती नलिनी पँवार	08.07.2008 से लगातार

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

पंडित सन्त राम राजकीय महाविद्यालय, बैजनाथ के अवधि 6/06 से 3/13 के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क संचयिका निधि सहित वार्षिक प्राप्तियों के आधार पर ₹46000/– आँका गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	छात्र निधि शुल्क वसूलियाँ	संचयिका वसूलियाँ	कुल प्राप्तियाँ	अंकेक्षण शुल्क
2006–07	112240	3957	116197	4000
2007–08	7181551	23437	741588	7000
2008–09	2056457	–	2056457	7000
2009–10	1042483	–	1042483	7000
2010–11	1831844	–	1831844	7000
2011–12	1980368	–	1980368	7000
2012–13	1877616	–	1877616	7000
		कुल अंकेक्षण शुल्क		**₹46000**

अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से सहायक नियन्त्रक (ले0प0) के पत्र संख्या 16, दिनाँक 8.5.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। तदानुसार महाविद्यालय द्वारा पंजाब नैशनल बैंक के ड्राफ्ट संख्या 48880 दिनाँक 9.5.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षणाधीन अवधि की विभिन्न छात्र निधि लेखों की वित्तीय स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (क)** पर संलग्न है।

5 **रोकड़ बहियों/बैंक खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–**

(क) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार प्रत्येक निधि के सभी नगद प्राप्तियों व भुगतानों का उसी दिन रोकड़ में ईन्द्राज करना आवश्यक होता है तथा रोकड़ बही को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर प्रत्येक मास के अन्त में अन्तशेष की राशि का बैंक में जमा राशि के साथ मिलान करना भी आवश्यक होता है, जोकि नहीं किया गया। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख–रखाव उचित प्रकार से न किए जाने तथा प्रत्येक माह बैंक में शेष जमा राशि से मिलान न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक निधि की रोकड़ बही लिखी जानी सुनिश्चित की जाए। उक्त प्रकार की अनियमितता से सम्बन्धित कुछ विवरण निम्नलिखित हैः–

निधि का नाम	**अवधि**
मिश्रित निधि	4/10 से 12/10
	4/12 से 3/13
विज्ञान निधि	4/11 से 3/12
	4/12 से 3/13
रोबर्स एंड रैन्जर्स निधि	3.6.11 से 27.12.11
	2.6.12 से 31.3.13
हाउस एग्जाम निधि	10.7.08 से 8.8.08
	18.8.08 से 22.9.08
	12.6.12 से 31.3.13
स्वास्थ्य निधि	3.6.11 से 15.11.11
	6/2012 से 31.3.13
फर्नीचर रिपेयर	4.5.10 से 30.10.10
	12.6.12 से 16.10.12

(ख) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी छात्र निधि को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धित वसूलियों तथा अन्य वसूलियों को पंजाब नैशनल बैंक के बचत खाता संख्या 3371000100165001 में जमा करवाया गया है तथा अर्जित ब्याज की राशि का अलग से रोकड़ बही में इन्द्राज करके दर्शाया जा रहा है जबकि नियमानुसार प्रत्येक छात्र निधि को अलग से बैंक खाते में जमा करवाकर उस पर अर्जित ब्याज का अलग से हिसाब–किताब रखा जाना अपेक्षित होता है ताकि रोकड़ में दर्शाई जा रही राशि का बैंक में जमा

राशि के साथ मिलान सम्भव हो सके तथा निधि की राशि का निधि के उद्देश्यों पर व्यय किया जा सके। अतः नियमानुसार प्रत्येक छात्र निधियों की राशियों को अलग से बैंक खाते में जमा न करवाने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस सन्दर्भ में अब नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2007 में सभी निधि खातों का विलय एक खाते में कर दिया गया परन्तु निम्नविवरणानुसार 6 निधियों के खातों का विलय नहीं किया गया और न ही उनमें से कोई लेन देन किया गया। इस प्रकार यह सभी खाते निष्क्रिय पड़े है जिनके कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस प्रकरण से अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	**खाता सं0**	**₹**
1	16591	474
2	16595	1970
3	16596	1970
4	16597	1970
5	16598	29087
6	16601	198

6 विभिन्न छात्र निधि की राशियों को प्रयोग में न लाया जाना तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन न दर्शाते हुए राशियों को सावधि जमा योजना में निवेशित न करनाः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय की विभिन्न छात्र निधियों में लाखों रूपये की अनुपयोगी राशियाँ शेष में पड़ी है जिन्हें छात्रों को सुविधाएँ प्रदान करने पर प्रयोग नहीं लाया जा रहा है। दिनाँक 31.3.2013 को विभिन्न निधियों के लगभग ₹58/— लाख पंजाब नैशनल बैंक के बचत खातों में जमा पड़ी। यदि अधिक अन्तशेष वाली निधियों में से कुछ राशियों को सावधि योजना में निवेशित किया जाता तो महाविद्यालय को उच्च दर पर अधिक ब्याज अर्जित हो सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि महाविद्यालय की विभिन्न छात्र निधियों की राशियों को छात्रों को सुविधाएँ प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाया जाए तथा अतिरिक्त राशियों, जिनकी निकट भविष्य के दौरान आवश्यकता नहीं है उन्हें सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाए ताकि उच्च दर पर ब्याज अर्जित हो सके।

7 छात्रों से नियमानुसार देय शुल्क की ₹87820 की वसूली न करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार छात्रों से नियमानुसार देय शुल्क की वसूली न करके कम शुल्क की वसूली की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा कम वसूली की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा अपेक्षित राशि सम्बन्धित निधि के खातों में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(क) नियमानुसार प्रत्येक छात्र से रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक शुल्क की ₹13 प्रति माह की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी जबकि शिक्षा सत्र 2008–09 में विज्ञान संकाय के कुल 325 छात्रों से रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक शुल्क ₹50700/– (325x13x12) (Chemistry Practical Fund) की वसूली नहीं की गई। अतः शुल्क की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाए तथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha (8)1/2001 दिनाँक 1.6.2010 द्वारा कामर्स संकाय के तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आई0टी0 व अप्रत्यक्ष करके दो प्रैक्टीकल विषयों के ₹15 प्रतिमाह प्रति विषय की दर से शिक्षा सत्र 2010–11 से शुल्क लगाए गये थे तथा तदानुसार महाविद्यालय द्वारा छात्रों से आई0टी0 विषय की शुल्क वसूली तो की गई परन्तु शिक्षा सत्र 2010–11 व 2011–12 में निम्नविवरणानुसार अप्रत्यक्ष कर की वसूली नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

शिक्षा सत्र	छात्र सं0	विवरण	राशि
2010–11	24	24x15x12	4320
2011–12	33	33x15x12	5940
		योग	**₹10260**

(ग) नियमानुसार फर्नीचर रिपेयर फण्ड/शुल्क की ₹10 प्रति छात्र प्रति माह की दर पर वसूली करनी अपेक्षित थी जबकि शिक्षा सत्र 2006–07 के 194 छात्रों से फर्नीचर रिपेयर फण्ड की **₹23280/– (194x10x12)** की वसूली नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) निम्नलिखित छात्रों से शिक्षा शुल्क की वसूली नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

क्र0 सं0	नाम	रोल नं0	कक्षा	रसीद सं0	दिनाँक	शुल्क जो वसूल नहीं किया गया
1	निशान्त शर्मा	114	BA-III	327	9.8.07	300
2	विजय कुमार	1575	B.Sc.-I	507	31.8.07	300
3	शगुन शर्मा	1516	B.Sc. I N.M.	133	19.6.12	300
4	रणधीर कुमार	12201	B.Sc. II N.M.	500194	12.6.08	300
5	मणी करण	164	BA-I	702231	6/09	300
6	प्रकाश कुमार	815	B.Com-I	702530	6/09	300
7	मुकेश कुमार	881	B.Com-I	702717	6/09	300
8	अंताश प्राशर	116	B.A.-I	454553	1.7.06	300
					कुल राशि	**₹2400**

(ङ) वर्णित छात्रों से प्रैक्टिकल शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0 सं0	नाम	रोल नं0	कक्षा	शिक्षा सत्र	रसीद सं0 व वसूल की गई राशि का विवरण	विषय जिनकी प्रैक्टिकल फीस वसूली नहीं की गई	राशि जो वसूली नहीं गई
1	आशा देवी	7048	B.Com-III	2012—13	रसीद सं0 301 ₹657	I.T. & Business application indirect Tax	90 90
2	सुनीता देवी	7053	B.Com-III	2012—13	रसीद सं0 313 ₹657	-do-	90 90
3	पंकज	7054	B.Com-III	2012—13	रसीद सं0 410 ₹950	-do-	90 90
4	नितीष मल्होत्रा	7051	B.Com-III	2012—13	रसीद सं0 818 ₹950	-do-	90 90
5	मन्जीत कुमार	7055	B.Com-III	2012—13	रसीद सं0 825 ₹950	-do-	90 90

6	वन्दना कुमारी	32194	B.A.-II	2008–09	रसीद सं0 0500865 ₹556	ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फण्ड	120
						कुल राशि	**₹1020**

(छ) शिक्षा सत्र 2011–12 में निम्न वर्णित छात्रों से विलम्ब प्रवेश शुल्क की वसूली नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	**रसीद सं0**	**नाम**	**राशि**
1	621486	अमिता	10
2	621489	अनु वर्मा	10
3	621500	रूचि	10
4	621524	भारती स्याल	10
5	621525	प्रियंका	10
6	621526	शिवानी	10
		कुल राशि	**₹60**

(च) शिक्षा सत्र 2011–12 में रसीद संख्या 0604701 के अन्तर्गत श्री लबली कुमार को बी0ए0 प्रथम वर्ष में रोल नं0 226 के अन्तर्गत प्रवेश देते समय कुल ₹1179/– की वसूली की गई परन्तु उक्त शुल्क की वसूली के साथ पुस्तकालय प्रतिभूति की ₹100/– की वसूली नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

8 छात्रों से वसूल की गई राशि में से ₹1372/– का कम लेखाँकन करनाः–

(क) दिनाँक 27.6.2012 को छात्रों से विभिन्न निधियों की ₹54987/– की वसूली की गई परन्तु जाँच में पाया गया कि वसूल की गई इन राशि में से केवल ₹54100/– को ही लेखाबद्ध किया गया तथा शेष ₹887/– (टयूशन शुल्क ₹25, लेट फाईन शुल्क ₹50, मिश्रित निधि ₹150, पुस्तकालय प्रतिभूति निधि ₹25, भवन निधि ₹60, कैम्पस डेवलपमैन्ट निधि ₹10, विद्यालय पत्रिका ₹50, कम्पयूटर ₹20, कन्टिन्यूएशन शुल्क ₹10, सांस्कृतिक गतिविधि निधि ₹20, एल0आर0 निधि ₹10, एच0 निधि ₹6, हाउस एग्जाम ₹25, पहचान पत्र निधि ₹10, ₹90, आई0टी0 ₹90,

एन0सी0सी0 निधि ₹5, एस0सी0ए0 ₹10, रोबर एंड रैन्जर निधि ₹60, स्पोर्टस निधि ₹120, स्टूडैन्ट एड निधि ₹10, यूनिवर्सटी हाउस एग्जाम ₹1, यूथ वेलफेयर ₹15, यूनिवर्सटी स्पोर्टस निधि ₹15) का कम लेखांकन किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं व उक्त राशि भी वसूल करके सम्बन्धित निधियों के खातों में वापिस जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) दिनाँक 30.6.2008 को कु0 बन्दना कुमारी, कक्षा B.A. II रोल नं0 32184 से रसीद सं0 0500865 के अन्तर्गत कुल ₹556/– की वसूली की गई परन्तु इसमें केवल ₹516 का ही लेखांकन किया गया तथा शेष ₹40 का लेखांकन नहीं दिया गया। अतः शेष ₹40 की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) रसीद संख्या 0702851 माह 6/2009 के अन्तर्गत श्री दीपक कटौच, कक्षा BA-I रोल नं0 811 से ₹881 की वसूली की गई परन्तु इस राशि में से केवल ₹736 का ही लेखांकन किया गया तथा पुस्तकालय प्रतिभूति की ₹100, रजिस्ट्रेशन फीस की ₹35 तथा विलम्ब शुल्क की ₹10 कम जमा करवाई गई। इस प्रकार कुल ₹145 का कम लेखांकन नहीं किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके इसे सम्बन्धित निधियों में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) दिनाँक 20.6.2012 को शिक्षा शुल्क के रूप में कुल ₹8700/– की वसूली की गई परन्तु राजकीय कोष में केवल ₹8400/– ही जमा करवाई गई। इस प्रकार ₹300/– कम जमा करवाने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे राजकोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

9 निर्धारित दरों से अधिक दरों पर छात्रों से विभिन्न शुल्कों की अनियमित वसूली करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से विभिन्न शुल्क करते समय कुछ प्रकरणों में निर्धारित दरों से अधिक दरों पर शुल्क वसूली की गई है। उदाहरण के रूप में छात्रों से वर्ष 2008–09 में छात्र सहायता निधि की निर्धारित दर ₹2 के स्थान पर ₹10 प्रति छात्र प्रति माह की दर पर तथा कैम्पस डवेलपमैन्ट फण्ड की ₹10 के स्थान पर ₹13 प्रति छात्र प्रति माह की दर पर शुल्क वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त ₹10 प्रति छात्र प्रति माह की दर से एस0सी0ए0 फण्ड की वसूली की गई है जबकि प्रदेश सरकार के इस सन्दर्भ में कोई आदेश नहीं थे। अतः जिन आदेशों के अन्तर्गत उक्त शुल्क वसूली की गई है उन्हें दर्शाकर की

गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाए तथा परामर्श दिया जाता है की भविष्य में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरो ंपर ही विभिन्न शुल्क वसूली की जाए।

10 राजकीय कोष में जमा करवाई गई ₹1125/– के बारे में:–

दिनाँक 31.7.2007 को छात्रों से वसूल किये गये राजकीय शुल्क की ₹1125/– (दाखिला शुल्क ₹125, शिक्षा शुल्क ₹900, विलम्ब शुल्क ₹100) को चालान संख्या 1 दिनाँक 2.8.2007 द्वारा राजकीय कोष में जमा किया गया दर्शाया गया है परन्तु संलग्न चालान पर दिनाँक 2.9.2007 अंकित थी तथा इस चालान पर बैंक द्वारा प्राप्ति के सन्दर्भ में कोई मोहर/रसीद अंकित नहीं है जिससे उक्त राशि कों वास्तव में बैंक जमा करवाए जाने के सम्बन्ध में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस प्रकरण में संस्था स्त्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 म्यूजिक फण्ड से क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना:–

माह अक्तूबर 2007 में म्यूजिक फण्ड से विभिन्न सामान की खरीद करने पर ₹8492/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

दिनाँक	आपूर्तिकर्ता का विवरण	सामान का विवरण	राशि
17.10.07	हिमाचल खादी मण्डल	दरी, गलीचा, गद्दी, कुशन, फुट मैट इत्यादि	4702
24.10.07	विकास स्टील ईण्डस्ट्री बिल संख्या 284 दिनाँक 27.9.2007	स्टील अलमारी स्टूल ब्लैक बोर्ड	3790

उपरोक्त वर्णित सामान म्यूजिक विभाग को जारी किया गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दिया गया परन्तु जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित विभाग के स्टॉक रजिस्टर में इस सामान की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त संस्था स्त्तर पर अपेक्षित जाँच करने के उपरान्त एवं प्रत्यक्ष सत्यापन करके अपेक्षित स्टॉक प्रविष्टि की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

12 अग्रधन में से शेष राशियों का समय पर जमा न करवाया जाना:–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यों हेतु प्रवकताओं को अग्रधन के रूप में राशियाँ प्रदान की गई है। सम्बन्धित प्रवक्ताओं द्वारा कार्य समाप्ति के उपरान्त शेष राशि वापिस जमा नहीं करवाया गया तथा शेष राशियों को

परिशिष्ट "ख" में दिए गए विवरणानुसार लगभग 2 से 9 माह तक अपने पास रख कर इनका अस्थाई दुरूपयोग किया गया जोकि अनियमित है। अतः कार्य समाप्ति पर शेष अग्रधन की राशियों की सम्बन्धित निधि के खातों में जमा न करवाने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस अनियमितता हेतु उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा भविष्य में कार्य समाप्ति के उपरान्त शेष अग्रधन राशियों को अविलम्ब सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मिश्रित निधि से ₹336575/– का अनियमित व्यय करनाः–

(क) मिश्रित निधि से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा इस निधि से समय–समय पर निम्नविवरणानुसार विद्युत प्रभार बिल तथा दूरभाष बिलों इत्यादि का भुगतान किया गया है। यह व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से इसकी प्रतिपूर्ति करके या सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	तिथि	प्रभार का नाम	जिसको अदा किया गया	राशि
1	21.08.07	BSNL बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2739
2	21.08.07	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	17237
3	21.10.07	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2080
4	22.12.07	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	1164
5	22.12.07	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	5952
6	13.02.08	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	753
7	22.10.08	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	904
8	23.4.09	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	1860
9	23.12.09	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	7685
10	27.01.10	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2758
11	24.02.10	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	362
12	03.03.10	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	716
13	24.07.10	बी0एस0एन0एल0 व एच0बी0एस0ई0बी0	दूरभाष बिल व विद्युत प्रभार	11831
14	27.07.10	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	586
15	23.11.10	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	13112

16	23.11.10	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	1745
17	22.12.10	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2685
18	21.01.11	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2919
19	16.02.11	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2960
20	17.03.11	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	9619
21	03.08.11	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	6304
22	24.09.11	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	14044
23	29.09.11	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2772
24	31.10.11	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2787
25	07.12.11	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2850
26	23.12.11	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	10458
27	27.12.11	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2776
28	24.01.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2460
29	18.02.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	9219
30	29.02.12	आई0पी0एच0	जल प्रभार बिल	700
31	21.03.12	एच0बी0एस0ई0बी0 व बी0एस0एन0एल0	विद्युत प्रभार व दूरभाष बिल	19022
32	21.03.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	1973
33	22.03.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2404
34	23.03.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	2053
35	06.06.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	3395
36	29.06.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	669
37	26.07.12	आई0पी0एच0	जल प्रभार	700
38	22.08.12	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	12224
39	22.08.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	3941
40	17.09.12	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	7751
41	17.10.12	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल	6348
42	18.10.12	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	5095
43	22.11.12	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	6546
44	21.12.12	एच0बी0एस0ई0बी0 व	विद्युत प्रभार व दूरभाष बिल	2682
	21.12.12	बी0एस0एन0एल0		36468

45	16.01.13	एच0बी0एस0ई0बी0 व	विद्युत प्रभार व दूरभाष बिल	23370
		बी0एस0एन0एल0		2518
46	19.02.13	एच0बी0एस0ई0बी0	विद्युत प्रभार	20458
47	20.02.13	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष केन्द्र प्रभार	2460
48	20.03.13	बी0एस0एन0एल0	दूरभाष बिल व	2649
			विद्युत प्रभार	15276
			योग	**₹322039**

(ख) इसके अतिरिक्त मिश्रित निधि से निम्नविवरणानुसार कार्यालय से प्रयोग हेतु लेखन सामग्री इत्यादि के बिलों का भुगतान किया गया है। अतः इस अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके इसे वापिस निधि में जमा करवाया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किये गये व्यय को नियमित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में निधि से नियमानुसार से ही वर्णित उद्देश्यों पर ही व्यय का किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**भुगतान की तिथि**	**जिस राशि भुगतान की गई**	**कार्य/सामान जिस हेतु राशि भुगतान की गई**	**राशि**
1	24.10.07	मै0 जगदीश बुक स्टॉक बिल नं0	वेतन बिल फार्म इत्यादि	480
		1511 दिनाँक 15.9.07	5Rim paper	450
		बिल नं0 1512 दिनाँक 15.9.07	10Pkt paper pin	220
		बिल संख्या 1513 दिनाँक 15.9.07	20 Refill	
			2 paper	
2	20.12.08	मै0 डढवाल स्टेशनर व स्पोंट बिल	CCS K CCA Rule	220
		सं0 24 दिनाँक 19.8.08	F.R.S.R. I	320
			F.R.S.R. II	145
			Medical Rules	175
			Financial Rules	200
			Treasury Rules	200
			G.P.F. Rules	105
			F.R. Vol I & II	800

3	31.3.11	मै0 स्टूडैन्ट शॉपी बिल सं0 818	कार्यालय प्रयोग हेतु स्टेशनरी की खरीद	3213
4	22.3.12	मै0 स्टूडैनट शॉपी बिल सं0 938 दिनाँक 17.2.11	कार्यालय प्रयोग हेतु आपूर्ति की गई फुटकर स्टेशनरी व सामान अवधि 25.4.11 से 5.9.2011 तक	2610
		बिल संख्या 939 दिनाँक 17.1.12	यथोपरि अवधि 9.9.2011 से 3.1.2012	2894
		बिल संख्या 940 दिनाँक 17.3.13	यथोपरि अवधि 31.1.2012 से 17.3.2012 तक	2504
			योग	**₹14536**

14 मिश्रित निधि से विभिन्न फार्म/रजिस्टर इत्यादि छपवाने पर किए गए ₹12600/– के व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) दिनाँक 31.3.11 को मै0 कनबर प्रिन्टर्ज बैजनाथ से विभिन्न फार्म/रजिस्टर इत्यादि छपवाने हेतु मिश्रित निधि से निम्नविवरणानुसार ₹12600/– का भुगतान किया गया जोकि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अथवा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	बिल सं0	दिनाँक	विवरण	राशि
1	408	18.2.11	2 रजिस्टरों की छपवाई	800
2	420	24.2.11	वार्षिक रिपोर्ट की 100 प्रतियों की छपवाई	2800
3	425	27.1.11	लैक्चरार स्टेट मैन्ट पैड 25 नं0	2000
4	404	3.12.10	ईन्टरनल ऐससमैन्ट पैड 25 नं0	2000
5	407	20.12.10	ईन्टरनल ऐससमैन्ट पैड 25 नं0	2000
6	432	3.2.11	लैक्चरार स्टेटमैनट पैड 25 नं0	2000
7	434	7.2.11	प्रिटिंग नं0 पैड 20 नं0	1000
			योग	**₹12600**

(ख) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु निविदाएं आमन्त्रित नही ली गई तथा छपवाई का यह कार्य छोटे–छोटे बिलों के अन्तर्गत करवाया गया दर्शाया गया है जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त उक्त विवरणानुसार बिल संख्या 408 व 420 द्वारा कार्य 18.2.2011 तथा 20.2.2011 को किया गया दर्शाया गया है परन्तु बिल संख्या 425, 432 व 434 द्वारा पहले ही दिनाँक 27.1.2011, 3.2.2011 व 7.2.2011 को निष्पादित किया गया दर्शाया गया था जोकि सम्भव नहीं है। अतः इस भुगतान के सन्दर्भ में आन्तरिक जाँच के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई गलत अथवा अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मिश्रित निधि से हि0प्र0 विश्वविद्यालय के सम्बन्धता शुल्क व जाँच शुल्क को ₹15000/– जमा करवाने बारेः–

वाऊचर संख्या 1 दिनाँक 30.10.2006 के अन्तर्गत मिश्रित निधि से हि0प्र0 विश्वविद्यालय के सम्बन्धता शुल्क की ₹5000/– तथा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय की जाँच हेतु शुल्क की ₹10000/– अर्थात कुल ₹15000/– जमा करवाई गई। इस राशि का भुगतान करने हेतु महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा मिश्रित निधि से अग्रधन के रूप में निकासी करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा राजकीय कोष में उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके वापिस निधि में जमा करवाने के आदेश दिये गये। जाँच में पाया गया कि 8 वर्ष बीत जाने पर भी उक्त अग्रधन की राशि को वापिस मिश्रित निधि में जमा नहीं करवाया गया है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके वापिस निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

16 प्रयोगशालाओं के प्रयोग हेतु सामान की अनियमित प्रकार से खरीद करनाः–

(क) प्रयोगात्मक विज्ञान शुल्क निधि से समय–समय पर की गई खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त निधि से महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार अनियमित प्रकार से अनावश्यक खरीद की गई तथा प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु खरीदे गये रसायन में से बहुत कम मात्रा प्रयोग में लाई गई है। इस विवरण से पूर्णतयः स्पष्ट है कि महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु अनावश्यक सामान की खरीद की जा रही है तथा खरीदा गया सामान वर्षों से बिना किसी प्रयोग के प्रयोगशालाओं में पड़ा है अथवा सामान की स्टॉक में प्रयाप्त मात्रा उपलब्ध होने पर भी अतिरिक्त सामान की खरीद की जा रही है जिसके कारण जहाँ एक तरफ सामान के खराब होने की सम्भवना रहती है वहीं निधि राशि भी अनावश्यक रूप में प्रयोग की गई है। अतः महाविद्यालय द्वारा की गई अनावश्यक खरीद के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में

आवश्यकता के अनुसार ही सामान की खरीद सुनिश्चित करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0 सं0	दिनाँक जिस दिन भुगतान किया गया	प्रयोगशाला जिस हेतु सामान खरीदा गया व आपूर्तिकर्ता का विवरण	रसायन का नाम	क्रय की गई मात्रा व राशि	प्रयोग की गई मात्रा
1	31.3.10	जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु मै0 दीप डिस्ट्रीब्यूटर्स से बिल संख्या 014094 दिनाँक 24.11.09 द्वारा रसायनों की खरीद	Phenol pthalin	125ml @70	शून्य
			Sodium Hydroxide	2x500ml@390	दिनाँक 9.9.10 तक केवल 500ml
			Sodium Thiosulphate	2x500gm @450	दिनाँक 27.10.10 केवल 500gm
			Magnous Sulphate	500gm @595	शून्य
			Silver Nitrate	25gm @1900	शून्य
			Potassium chromate	500gm @620	शून्य
			Amm.Molybdate	100gm @1525	शून्य
			Stannous chloride	100gm @425	शून्य
			Anhydrous Pot. Hydrogen	500gm @460	शून्य
			Phenol pure	500gm @340	शून्य
			Silver Sulphate	25 gm @2450	शून्य
			Liquid Ammonous	500 ml@130	शून्य
			K No 3	500gm@270	शून्य
			Nytrogen Regent	500ml@920	शून्य
			Borfocid	125ml@86	शून्य
			Wright htain	250ml@126	शून्य
			Methylene	500ml@153	शून्य
2	15.12.08	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला हेतु मै0 रिसर्च एंड ईन्स्ट्रमैन्ट एण्ड सर्विस से बिल संख्या 28184 दिनाँक 27. 10.08 के अन्तर्गत की गई रसायनों की खरीद	Barrium chloride Sodium sulphate Cobalt Sulphate	1x500gm@170 1x500gm@790 5x100gm@1825	शून्य शून्य दिनाँक 11.3.11 तक 200gm शेष 300gm

			Fehling Solution (A)	2x500 @370	शून्य
			Fehling Solution (B)	2x500 ml @630	शून्य
3	21.3.12	जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु मै0 रिसर्च एंड ईन्स्ट्रमैनट सर्विस के बिल संख्या 37595 दिनाँक 12.11.11	Ethanol	10x500ml@1440	शून्य
			Lab wash	5ltr @660	दिनाँक 7.12.11 तक केवल 1 लीटर
			Aceto Carmine	100 ml@600	दिनाँक 1.2.2012 तक केवल 25ml
			Chloropous	500ml@228	दिनाँक 20.11.11 तक केवल 200ml
			Gentian videt	125ml@116	शून्य
4	21.3.12	जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु मै0 दीप डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिल संख्या 16588 दिनाँक 22.11.2011 द्वारा क्रय किया गया सामान	Formalinol	5ltr @850	दिनाँक 24.11.11 तक केवल 1 ली0
5	21.3.12	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला हेतु मै0 अम्बिका साईटिफिक ट्रेडर्ज से बिल संख्या 3816 दिनाँक 20.10.11 द्वारा क्रय किया गया सामान	Potassium Thioyxnate	500gm@442	शून्य
6	21.3.12	मै0 रिसर्च ऐड एंड ईन्स्ट्रूमैन्ट से खरीदा गया सामान बिल संख्या 37601 दिनाँक 14.11.11	Ammonium Thiocymate	500gm@269	शून्य
			Fructol	500gm@381	शून्य
			N Phnylin thrilice acid	25gm@532	शून्य

(ख) अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु जो भी सामान (रसायन, माईक्रोस्कोप इत्यादि) खरीदा गया वह संविदाएं लेकर व न्यूनतम संविदा के आधार पर खरीदा गया है जबकि प्रदेश सरकार द्वारा अपने सभी विभागों के लिए स्टोर/स्टॉक के सामान खरीदने हेतु भण्डार नियन्त्रक द्वारा दर अनुबन्ध (Rate Contract) किया गया है। अतः Rate Contact के आधार पर खरीद न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा खरीदे गए सामान की दरों का मिलान भण्डार नियन्त्रक द्वारा जारी किए Rate Contract की निर्धारित दरों से किया जाए तथा यदि कोई अधिक भुगतान पाया जाता है तो उसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा भविष्य में दर अनुबन्ध/Rate Contract में निर्धारित दरों पर ही सामान का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु छात्रों को दैनिक भत्ते के रूप में अधिक भुगतान करनाः–

(क) दिनाँक 17.10.07 को अग्रधन की ₹12000/– श्री अरूण कुमार प्रवक्ता को महाविद्यालय की बॉलीबाल टीम के कोटखाई में अन्तर महाविद्यालय बॉलीबाल प्रतियोगिता में भाग लेने पर व्यय को वहन करने हेतु प्रदान की गई। राशि के समायोजन वाऊचरों में भी अरूण कुमार द्वारा दिनाँक 18.10.07 से 23.10.07 के दौरान 10 छात्रों को 6 दिनों के लिए ₹50 प्रतिदिन भत्ते की दर से ₹3000 की प्रतिपूर्ति की गई जबकि छात्रों द्वारा दिनाँक 18.10.07 को यात्रा रात्री बस से की जिस कारण उन्हें ½ दिन की दैनिकी देय थी। इसी प्रकार वापिसी यात्रा 21.10.07 को बाद दोपहर बाद कार्यभार मुक्त होने के पश्चात की गई। इस प्रकार दिनाँक 23.10.07 को दैनिक भत्ता दिए जाने का कोई औचित्य नहीं था। अतः 10 छात्रों को गलत/अधिक भुगतान किए गये 1½ दिन के दैनिक भत्ते (10x1½x50=₹750) की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके इसे वापिस निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त श्री अरूण कुमार को दिनाँक 24.10.07 को धर्मशाला में सम्पन्न हुई अन्तर महाविद्यालय फुटबाल प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु अग्रधन ₹9000/– प्रदान की गई। इसमें श्री अरूण कुमार द्वारा 16 छात्रों को दिनाँक 30.10.2007 का पूरे दिन की दैनिकी (16X56=₹800) का भुगतान किया गया जबकि प्रतियोगिता समन्वयक/प्रधानाचार्य धर्मशाला द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को दिनाँक 29.10.07 को बाद दोपहर बाद कार्यभार मुक्त करके वापिस भेज दिया गया था। अतः दिनाँक 30.10.2007 के दैनिक भत्ते के भुगतान की ₹800/– की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे वापिस जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

18 निविदाएं आमन्त्रित करके खरीद करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई न करनाः–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 97 के अनुसार एक समय पर ₹3000/– तक की वस्तुऐं खरीदने पर तथा एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹50000 तक की खरीद, संस्था अध्यक्ष, नियन्त्रक अधिकारी व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निविदाएं आमन्त्रित किए बिना की जा सकती है तथा इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारी को निमनलिखित प्रमाण पत्र देना होगा।

"I ------am personally satisfied that the goods purchased are of requisite quality and specification and have been puschased from reliable supplier at a reasonable price."

सम्बन्धित क्रय करने वाले अधिकारी बिना निविदाएं आमन्त्रित किए की गई खरीद का अलग से पूर्ण अभिलेख रखेगे ताकि वित्त वर्ष में की गई खरीद का कुल मूल्य ज्ञात हो सके। इसी प्रकार नियम 98 के अनुसार एक समय पर ₹3000 से लेकर ₹1,00000 तक की खरीद संस्था अध्यक्ष द्वारा स्थानीय खरीद हेतु बनाई गई 3 सदस्यों की समिति की संस्तुति पर की जायेगी। समिति उचित दरों के निर्धारण हेतु स्थानीय बाजार में खोज करके आपूर्ति आदेश देने से पूर्व संयुक्त रूप से निम्नलिखित प्रमाण पत्र देगें।

"Certified that we, the following members of the purchase committee are jointly and indirdually that the goods recommended for purchase are of requisite specification and questity, priced at the prevailing market rate and the suppliers recommended are reliable and competent to supply the goods in question."

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बिना निविदाएं आमन्त्रित किये की गई खरीद में उक्त वर्णित नियमों की अनुपालना नहीं की गई है और न ही वर्णित प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः नियमों की अनुपालना करते हुये खरीद न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान को नकारते हुए नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर ही खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए। नियमानुसार कार्रवाई अमल में न लाकर की गई खरीद में से कुछ का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**निधि का नाम**	**खरीद करने की तिथि**	**आपूर्तिकर्ता का विवरण**	**राशि**
1	मिश्रित निधि	17.3.11	महाराजा पैलेस	9000
2	मिश्रित निधि	1.12.12	मै0 आई0टी0आई0 क्मपयूटर बिल सं0 159	1330
			बिल सं0 160	1330
3	मिश्रित निधि	22.12.12	मै0 साईबर पब व इन्टरनेट केफे	1800

19 शैक्षणिक भ्रमण हेतु किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

मिश्रित निधि से जवाहर यात्रा संगम को दिनाँक 24.12.08 को ₹31000 का भुगतान महाविद्यालय के 30 छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण हेतु छात्रों को बैजनाथ से माऊंट आबू ले जाने व वापिस लाने हेतु कुल राशि का 1/4 भाग महाविद्यालय अंशदान के रूप में किया गया। उक्त शिक्षा भ्रमण हेतु निविदाएं आमन्त्रित करते समय यात्रा बैजनाथ से दिल्ली, जयपुर से माऊंट आबू व वापिसी के लिए यात्रा की गई दर्शाई गई थी परन्तु प्रधानाचार्य द्वारा नियन्त्रक अधिकारी को दिए गए आदेशानुसार तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा यात्रा केवल जयपुर तक ही की गई दर्शाई गई

है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि क्या यह यात्रा माऊंटआबू तक की भी गई थी अथवा केवल जयपुर तक ही की गई है क्योंकि अभिलेख में उक्त यात्रा से सम्बन्धित अन्य कोई प्रमाण संलगन नहीं है।

20 वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता पर किए गए ₹7250/– के व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:–

दिनाँक 30.3.11 को मिश्रित निधि से ₹7250 की प्रतिपूर्ति दिनाँक 11.11.10 को सम्पन्न हुई वार्षिक खेलकूल प्रतियोगिता पर हुये व्यय के स्वरूप की गई। जाँच में पाया गया कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में दिये गये फ्रूट इत्यादि के बिलों पर प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों की सूची संलग्न करने के आदेश दिए गये परन्तु यह सूची संलग्न नहीं है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त मै0 पंजाब फ्रूट कम्पनी के दिनाँक 22.11.10 व 23.11.10 के दोनों बिल क्रमशः ₹1464 व ₹1742 के है जबकि वार्षिक खेल प्रतियोगिता दिनाँक 11.11.10 को सम्पन्न हो चुकी थी। अतः प्रतियोगिता के 11–12 दिन बाद फलों की खरीद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस प्रकरण में आन्तरिक जाँच करने के उपरान्त उचित कार्रवाई अमल में लाते हुये अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

21 वार्षिक पुरस्कार समारोह हेतु खरीदी गई पुस्तकों के क्रय तथा वितरण से सम्बन्धित अनियमितताएं:–

(क) महाविद्यालय में दिनाँक 27.2.2010 को सम्पन्न हुए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में छात्रों को पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें बाँटने हेतु दिनाँक 31.3.2010 को मै0 युनिवर्सल बुक स्टोर चण्डीगढ़ को उनके बिल संख्या 4795 दिनाँक 28.12.2009 के अन्तर्गत पुस्तकों की खरीद करने पर कुल ₹39635/– का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में महाविद्यालय की एक कमेटी द्वारा चण्डीगढ़ में जाकर व पुस्तकों का चयन करके पुस्तके खरीदी गई जिसमें ₹35 से लेकर ₹360 तक की पुस्तकें खरीदी गई। सम्बन्धित बिल के उपर यह प्रमाण पत्र दिया गया कि सभी पुस्तकें पुरस्कार पाने वाले छात्रों में बाँट दी गई तथा शेष शून्य रहा परन्तु यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किस छात्र को कौन–कौन सी पुस्तक प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कमेटी द्वारा कुल खरीदी गई 265 पुस्तकों के साथ संलग्न 227 छात्रों की सूची संलग्न की गई जिन्हें पुस्तकें बाँटी गई दर्शाई गई है तथा जिस पर केवल 138 छात्रों द्वारा पुरस्कार प्राप्ति हेतु अपने हस्ताक्षर किये गये तथा शेष 89 छात्रों द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए। अतः इस सन्दर्भ में आन्तरिक जाँच के उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) मै0 यूनिवर्सल ऐन्टर प्राईजिज, धर्मशाला को उनके बिल संख्या 508 से 513 दिनाँक 16.2.2011 तथा बिल संख्या 514 दिनाँक 17.2.2011 के अन्तर्गत वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें बाँटने हेतु पुस्तकों की खरीद करने पर दिनाँक 29.3.2011 को ₹51440 का भुगतान किया गया। इस खरीद से पूर्व निविदाएं ली गई और न ही नियमानुसार किसी समिति द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया है जोकि वित्तीय नियमों की अवहेलना है जिसमें किसी प्रकार के अधिक भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः वित्तीय नियमों की अनुपालना न करते हुए खरीद करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि उपरोक्त खरीदी गई पुस्तकों की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 8 से 17 तक के क्रम संख्या 1 से 111 पर की गई तथा यह प्रमाण पत्र देकर पुस्तकों को स्टॉक से खारिज कर दिया गया कि इन्हें दिनाँक 25.2.2011 को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बाँट दिया गया तथा शेष शून्य रहा, परन्तु वाउचर फाईल में साथ संलग्न सूची में उक्त खरीदी गई ₹51440/– की पुस्तकों में से छात्रों को पुरस्कार के रूप में बाँटी गई मदों/पुस्तकों की ₹37175/– का विवरण दिया गया है। अतः शेष ₹14265/– की पुस्तकों के बारे में जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा वितरण से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख/विवरण आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाए।

(ग) दिनाँक 31.3.12 को मै0 गोयल बुक डिपु से पुरस्कार वितरण समारोह मे वितरण हेतु पुस्तकों की खरीद करने पर कुल ₹33307 का भुगतान किया गया। इस खरीद में आपूर्तिकर्ता द्वारा पुस्तकों का जो मूल्य दर्शाया गया है उसका किसी भी अधिकारी द्वारा प्रकाशक की मूल्य सूची से मिलान नहीं किया गया जिसकी अनुपलब्धता में किसी भी अधिक भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः मूल्य सूची से मिलान करके व किसी प्रकार के गलत भुगतान को नकारते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त दिनाँक 31.3.2012 को मै0 हिन्द बुक डिपु से पुरस्कार समारोह में बाँटने हेतु उनके बिल 2988 दिनाँक 28.2.2012 के अन्तर्गत पुस्तकों की खरीद करने पर कुल ₹17833/– का भुगतान किया गया जबकि पुरस्कार वितरण समारोह 25.2.12 को समाप्त हो चुका था। अतः पुरस्कार वितरण समारोह के उपरान्त की गई खरीद को उचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त खरीदी गई इन पुस्तकों को पुरस्कार वितरण समारोह में बाँटा गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दिया परन्तु वाउचरों के साथ

पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को जो सूची दी गई है उन पर उक्त खरीदी गई पुस्तके बाँटी गई दर्शाई गई है जबकि पुस्तके किन–2 छात्रों को बाँटी गई उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अतः वितरण से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

22 भुगतान की गई राशि की पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशियों की पावतियाँ/रसीदें प्राप्त नही की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वास्तव में उनके द्वारा राशि प्राप्त कर ली अथवा नहीं? अतः पावतियाँ/रसीद प्राप्त न करने का कारण स्पष्ट किए जाए तथा इन रसीदों को प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	आपूर्ति कर्ता का नाम	दिनाँक	राशि
1	मै0 रिसर्च एंड इन्सट्रूमैन्ट बिल संख्या 37595 दिनाँक 12.11.11	21.3.2012	57101
2	मै0 दीप डिस्ट्रीब्यूटर्स, भारण्डा बिल संख्या 16588 दिनाँक 27.11.11	21.3.2012	6404
3	मै0 रिसर्च एंड इन्सट्रूमैन्ट बिल संख्या 37602 दिनाँक 14.11.11	21.3.2012	3377
	बिल सं0 37601 दिनाँक 14.11.11		5557
4	मै0 अम्बिका साईंटिफिक ट्रेडर्स	21.3.2012	12118
5	मै0 नैशनल सेल्स कॉ0 बिल सं0 1961 दिनाँक 5.11.11	21.3.2012	25400
6	मै0 दीप डिस्ट्रीब्यूटर्ज	21.3.2012	12229
7	मै0 क्रिएटिव इण्डस्ट्री बिल संख्या 1765 दिनाँक 24.2. 2012	21.3.2012	27720
8	मै0 कवंर प्रिन्टर्ज बिल संख्या 642	24.12.2012	9871
	बिल संख्या 617		33600
	बिल संख्या 622		1200
9	मै0 आदर्श स्टेशनर्ज बिल संख्या 374 दिनाँक 4.12.12	24.12.2012	16600
10	मै0 यूनिवर्सल बुक स्टोर चण्डीगढ़	31.3.2010	39635

11	मै0 यूनिवर्सल एन्टरप्राईजिज धर्मशाला	29.3.2011	51440
12	मै0 विकास स्टील एण्ड फर्नीचर इण्डस्ट्री, बिल सं0 284 दिनाँक 27.9.2007	24.10.2007	22013
13	मै0 सूद स्टील ईएडस्ट्री, बिल संख्या 490 दिनाँक 9.10. 2007	24.10.2007	11567

23 अन्य विविध अनियमितताएंः–

(क) दिनाँक 31.10.07 को श्री सोहन लाल, प्रवक्ता को भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु फुटकर सामान की खरीद करने हेतु ₹500 अग्रधन के रूप में प्रदान की गई। इस अग्रधन राशि में से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा 8.2.08 से 11.3.08 के मध्य फुटकर सामान की खरीद की गई तथा सभी बिलों पर यह प्रमाण पत्र दिया गया कि खरीदे गए सामान का स्टॉक रजिस्टर में ईन्द्राज किया गया परन्तु सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का अंकेक्षण में सत्यापन नहीं करवाए गए। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिल पर यह प्रमाण पत्र भी दिया गया कि वार्षिक प्रैक्टिकल में यह सारा सामान प्रयोग में लाया गया तथा शेष शून्य दर्शाया गया जबकि उक्त रसीद में मै0 कैलाश जनरल स्टोर के बिल संख्या 7439 दिनाँक 11.3.2008 के अन्तर्गत ₹240 की एक प्लास्टिक की बाल्टी व जग की भी खरीद की गई तथा इस बिल पर भी यह प्रमाण पत्र दिया गया कि वार्षिक प्रैक्टिकल में प्रयोग किया गया तथा शेष शून्य दर्शाया जबकि यह स्थाई वस्तुऐं थी। अतः इस सन्दर्भ में जाँच के उपरान्त वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दिनाँक 20.3.2012 को मिश्रित निधि से मै0 मोहित स्पोर्टस कारनर से उनके बिल संख्या 1284, 1285 व 1286 दिनाँक 24.9.2011 के अन्तर्गत खेलों के सामान की खरीद करने पर कुल ₹67272 का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि बिल संख्या 1284 के अन्तर्गत 12 नं0 "Star Impact" (Jogger) की खरीद ₹640 प्रति (Jogger) ही दर पर की गई जबकि न्यूनतम निविदा मूल्य ₹525 प्रति (Jogger) की थी। इस प्रकार इस खरीद में कुल ₹1449 (12X115=1380+वैट ₹69 कुल ₹1449) का अधिक भुगतान कर दिया गया। अतः अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) दिनाँक 24.10.07 को मै0 क्रिएटिव इण्डस्ट्री के बिल संख्या 665 व 666 दिनाँक 3.9.2007 के अन्तर्गत सी0एस0सी0ए0 के शपथ ग्रहण समारोह में सदस्यों को बैच देने हेतु मिश्रित निधि से ₹990/– का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त ₹184 का भुगतान मै0 नयना फोटो स्टूडियों को इस समारोह की फोटो खींचने हेतु किया गया। जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में सी0एस0ए0 फण्ड की 2007–08 में अलग से ₹9740/– की वसूली की गई थी। अतः सम्बन्धित फण्ड से भुगतान न करके मिश्रित निधि से भुगतान करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित निधि से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु सामान की खरीद पर दिनाँक 21.3.2012 को मै0 रिसर्च ऐड से उनके बिल संख्या 37324 दिनाँक 30.9.2011के अन्तर्गत ₹998 तथा रसायन प्रयोगशाला हेतु सामान की खरीद करने पर बिल संख्या 38343 दिनाँक 6.3.2012 के अन्तर्गत ₹974 का भुगतान किया गया। इस भुगतान को महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा विज्ञान निधि से करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु यह भुगतान मिश्रित निधि से किया गया। अतः आदेशानुसार सम्बन्धित निधि से भुगतान न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित निधि से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दर्शाई जाए।

(ङ) मै0 बैजनाथ स्टेशनर को उनके बिल संख्या 849 दिनाँक 30.11.12 के अन्तर्गत 10 रिम कागज ए–4 की खरीद करने पर दिनाँक 1.12.2012 को ₹1575/– का भुगतान मिश्रित निधि से किया गया। इस खरीदे गए सामान की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई और न ही इसके प्रयोग से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई करके तथा प्रयोग से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

(च) दिनाँक 24.9.2011 को श्री आर0के0 पठानिया (एन0सी0सी0 ईन्चार्ज) को ₹2465/– का भुगतान उनके द्वारा एन0सी0सी0 कार्यों से सम्बन्धित यात्रा भत्ते दावों की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया। इस भुगतान में उनके द्वारा दिनाँक 26.4.2010 को की गई यात्रा के दावे की ₹226/– तथा 12.8.2010 को की गई यात्रा के दावें की ₹226 अर्थात कुल ₹452/– का भी भुगतान किया गया जबकि दावे कालातीत हो चुके थे तथा नियमानुसार इनका भुगतान नहीं किया जा सकता था। अतः इन कालातीत दावों के भुगतान स्वरूप भुगतान की गई कुल ₹452 की प्रतिपूर्ति करके व वापिस निधि के खाते जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

24 लघु आपत्ति विवरणिका:– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)xi (II)–502/14 खण्ड–1–6481–84 ,दिनांक, 29.10. 2014. शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. प्रधानाचार्य, पंडित सन्त राम राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला–171002
3. अवर सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
4. श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक द्वारा..............................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.